न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट संख्या–01, गाजियाबाद।

प्रार्थना पत्र संख्या – 44/2026
मनोज बनाम गौरव चौधरी आदि
धारा –173(4) बी०एन०एस०एस०।
थाना– लोनी, गाजियाबाद।

दिनांकः–29–04–2026

आवेदक मनोज की ओर से उपरोक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण गौरव चौधरी आदि के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना–पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर थाना लोनी, गाजियाबाद पर प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करायी जाकर विवेचना करायी जावे तथा विपक्षीगण के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० मय शपथ पत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी की गांव बंधला थाना–लोनी जिला–गाजियाबाद में C.S.C. जनसेवा केंद्र की दुकान किराए पर थी। प्रार्थी की दुकान में आधार कार्ड में संशोधन करने का कार्य UCL सेंटर फरवरी 2022 से चला रहा (शुरू हुआ) था। वर्तमान में करीब 21 माह से विपक्षी द्वारा गलत /अवैध/अनुचित तरीके से बंद करा रखा है विपक्षी अभिषेक पुत्र सुखवीर सिंह उ निवासी गाँव सिकरी थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद) का बताता है तथा विपक्षी गौरव चौधरी पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी 683, मोहननगर, जिला–गाजियाबाद का होना बताता है व इन दोनों विपक्षीगण के साथी 2–3 व्यक्ति अज्ञात हैं। नाम पता मालूम नहीं है, सामने आने पर प्रार्थी पहचान सकता है। विपक्षीगण जालसाज व धोखाधड़ी करके गरीब VLE C.S.C. जनसेवा केंद्र आधार कार्ड में संशोधन करने का कार्य UCL सेंटर की दुकान से ठगी कर अवैध वसूली का कार्य करते हैं। घटना दिनांक 24–3–2022 को विपक्षी गौरव चौधरी व इसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति जो अपने (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) का अधिकारी बताते हुए जिसकी पहचान गौरव चौधरी उपरोक्त ने कराई तथा कहा की शॉप में दो CCTV कमरे लगे है चार क्यों नही लगे है, टोकन मशीन नही है, व्हील चेयर नही है, रजिस्टर मेंटेन नही, आदि मिथ्या बाते कहते हुए प्राथी से कहा की प्राथी की दुकान की खिलाफ रिपोर्ट लगाकर बंद कर देगे नही तो 1,00,000/– (एक लाख रूपये) दो, प्राथी ने कहा की मेरी शॉप में ज्यादातर व्यवस्था सही है लेकिन विपक्षी गण पेसे दिए जाने का दबाव बनाने लगे की इन तथ्यों से ही हम तुम्हारे सेण्टर की रिपोर्ट लगाकर आज ही बंद करा देगे हमको पेसे चाहिए हमें कही से भी लाकर पेसे दो नही तो तुम्हारा सेंटर दुकान सब बंद करा देगे प्राथी ने मज़बूरी में 2 व्यक्ति से उधार लेकर 28000/–रूपये दिए विपक्षी गण प्राथी के सेंटर पर लगे 2 CCTV वाले केमरे जो की मेमोरी वाले पोर्टेबल थे भी जबरन उतार कर ले गये क्योकि उनमे उस दिन समय 24–3–2022 की घटना रिकॉर्ड हो गयी थी इसके बाद फिर अगले माह अप्रैल 2022 में गौरव चौधरी एक अन्य व्यक्ति को लेकर फिर प्राथी की दुकान/सेंटर पर आ गये और बोले तुम्हे दुकान चलानी है तो हर महीने 10,000/– रु देने होगे, नहीं देने पर तुम्हारी दुकान UCL सेंटर कोई ना कोई कमी निकालकर सब बंद करा देंगे पार्थी के द्वारा आने वाले ग्राहकों से पहले कार्य का खर्चा बताकर प्राथी पेसे लेता था क्योकि प्राथी की दुकान किराये की थी इसके बाद करीब 27 माह में (अप्रैल 2022 से जून 2024 तक) विपक्षी गौरव चौधरी के साथ अभिषेक भी (जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक) शामिल हो गया और प्राथी से अवैध वसूली 10,000/– रु प्रति माह करने लगा प्राथी को अपना घर चलाना था तथा विपक्षी उपरोक्त दोनों ने प्राथी को यह कहते हुए धमकी दी की यदि प्राथी रूपये नहीं देगा तो दुकान/ सेंटर बंद कर देगे इसके बाद 16

मार्च 2024 को विपक्षी अभिषेक प्राथी से कहने लगा की मुझे अलग से 10,000/–प्रति माह दो प्राथी ने कहा की मेरी इतनी सामर्थ्य नही है की दोनों विपक्षी गण को अलग–अलग वसूली के पेसे दे उसके बाद 28 जून 2024 में विपक्षी गण ने प्राथी का आधार कार्ड संशोधन कार्य UCL सेंटर बंद करा दिया तभी से प्राथी का कार्य नही चल रहा है इसके बाद विपक्षी गौरव चौधरी जिसने प्राथी से अधिकतर पेसे वसूले है जब यह बात UCL में एरर आने की समस्या बताई तो (क्योकि प्राथी को जब तक यह नही पता चल पाया था की उसका सेंटर अभिषेक द्वारा बंद करा दिया है) तो विपक्षी गौरव चौधरी ने प्राथी से जुलाई 2024 में 10,000/– रूपये की मांग कर कहा की मै प्राथी का आधार कार्ड संशोधन कार्य UCL सेंटर दोबारा से चालू करा दुगा लेकिन गौरव चौधरी ने कम्पुटर में ऑनलाइन कुछ छेड़छाड़ एनी desk के माध्यम सेLohit Devanagari किसी U.I.D.A.I अधिकारी से करायी और कहा की कुछ दिनों में तुम्हारा सेंटर दोबारा चालू हो जायेगा लेकिन फिर भी मेरा आधार कार्ड संशोधन कार्य UCL सेंटर चालू नही हुआ कुछ नही हुआ विपक्षी जिससे ये पता चलता है की उक्त U.I.D.A.I ANY DESK भी किसी नकली फर्जी व्यक्ति का था जो गौरव चौधरी के साथ काम करता होगा प्राथी द्वारा 10 से 15 दिन बाद पूछे जाने पर विपक्षी गौरव चौधरी कहा जाने लगा की अब तुम्हारा आधार कार्ड संशोधन कार्य UCL सेंटर 5 से 6 महीने बाद चालू होगा प्रार्थी ने अपने पेसे वापस मांगे तो U.I.D.A.I को दिए जाने के बात कहकर पेसे वापस नही किये इसके बाद समय बीतता गया और 6–7 महीने बीत गये 24 फरवरी 2025 को विपक्षी गौरव चौधरी ने प्राथी को आकर कहा की तुम्हारा आधार कार्ड संशोधन कार्य UCL सेंटर आज दिन से 20 दिन में चालू हो जायेगा लेकिन उसके लिए तुम्हे 50,000 रूपये और देने होगे प्राथी रोजगार ना होने से पिछले 8 महीनों से परेशान था प्राथी ने अनेक बार CSC को मेल भी भेजे थे लेकिन कार्य चालू नही हुआ इस कारण प्राथी मजबूर था प्राथी ने अपने रोजगार को चालू कराने हेतु मज़बूरी में 12,000 रूपये और दे दिए तथा कहा की मुझसे अब तक तुम 3 लाख से अधिक की वसूली कर चुके हो मेरा काम अब तो शुरु करा दो मै रोजगार के बिना परेशान हूँ मेरी आर्थिक हालत लगातार खराब हो रही है कुल मिलाकर अलग अलग समय में प्राथी से 3,20,000/–रूपये और 18,390/–रूपये को पोलसी जबरजस्ती झुठ बोलकर करा दी की तुम्हारे पेसे कुछ दिनों में वापस दिला देगे इस प्रकार विपक्षी गण CSC द्वारा नियुक्त जिला स्तर पर अधिकारी होने के कारण से धोखाधड़ी बईमानी से रूपये ले लिए है प्रार्थी ने कई बार कहा की प्राथी के उपरोक्त रूपये वापिस कर दो लेकिन आज तक प्राथी का ना तो आधार कार्ड संशोधन कार्य UCL सेंटर नहीं चला है जब प्राथी, विपक्षी गण से अपना रुपया वापस मांगता है तो विपक्षी ने प्राथी को रूपये देने से मना कर दिया और पेसे मागने पर जान से मारने की धमकी दी विपक्षी गण इसी प्रकार अन्य दुकानों VLE C.S.C UCL सेण्टर से भी अवेध वसूली करते है जो की क़ानूनी अपराध है विपक्षी गण का लोधी रोड पर हेड ऑफिस HEAD OFFICE ADDRESS: CSC E– GOVERNANCESERVICES INDIA LIMITED, MINISTRY OF COMMUNICA TIONS & INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS NIKETAN, 3RD FLOOR, 6, CGO, COMPLEX, LODHI ROAD, NEW DELHI–110003 है यही से विपक्षी गण कार्य करते है विपक्षी गण की पेसे मांगे जाने और दबाव डालकर झूठ बोलकर पोलसी करने की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग मोजूद है विपक्षी गण द्वारा प्राथी के साथ धोखाधड़ी, बईमानी, छलकपट व् अमानत में खयानत का कार्य किया गया और प्राथी ने विपक्षी द्वारा पेसे वापिस नही किये तो प्राथी ने उनके WhatsApp पर लिखकर भेज दिया की प्राथी अब क़ानूनी रास्ता अपनाकर अपने पेसे विपक्षियो से वापस लेगा जिस पर कुछ लोगो ने समझोता करने की कोशिश की तो 31–10–2025 को प्राथी को धमकी दी की तुझे जो करना है कर ले तू हमारा कुछ नही कर सकता गौरव चौधरी ने कहा की मेरा भाई PMO में हम तुझे सब प्रकार से देख लेगे उपरोक्त घटना थाना लोनी क्षेत्र में घटित की है। उक्त के बाद प्राथी ने एक वाद संख्या 5005/2025 मनोज बनाम गौरव चौधरी व अन्य के खिलाफ माननीय न्यायालय CJM महोदय के यहाँ दायर किया लेकिन विपक्षीगण

सरकारी ना होने के कारण वाद वापिस लिया घटना माननीय न्यायालय की सीमा क्षेत्र के अन्तरगत पैदा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना लोनी को आदेशित कर विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी की ओर से अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय CJM से प्राप्त प्रमाणित प्रति (जिसमें आर्डर शीट, पुलिस रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र, आदेश एवं स्पीड पोस्ट रसीदें सम्मिलित हैं),पुलिस कमिश्नर को दी गई मूल शिकायत की प्रति, प्रार्थी के VLE कार्ड की छायाप्रति, साक्ष्य हेतु पेनड्राइव, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की लिखित ट्रांसक्रिप्ट, CSC पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज शिकायत, UIDAI पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज शिकायत, CP गाजियाबाद और प्रभारी निरीक्षक लोनी को भेजी गई शिकायत, विपक्षी गौरव चौधरी की WhatsApp चैट के प्रिंटआउट, विपक्षी अभिषेक की WhatsApp चैट के प्रिंटआउट, ₹25,000/– ऑनलाइन भुगतान की रसीदें , ₹12,000/– ऑनलाइन भुगतान की रसीद, 18,390/– की इंश्योरेंस पॉलिसी की समस्त रसीदें, नकली/फर्जी UIDAI Any Desk एक्सेस के फोटोप्रिंट, CSC के उच्च अधिकारियों को WhatsApp और ईमेल द्वारा भेजी गई अपराध की घटना की सूचना एवं साक्ष्य, दिनाक 24 दिसम्बर 2025 को तत्कालीन बंथला चोकी प्रभारी SI को दिए गये ऑडियो विडियो सबूत की WhatsApp चैट आदि प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है।

संबंधित थाने से उपरोक्त प्रकरण में आख्या आहूत की गयी। योजित थाने की आख्यानुसार वादी मनोज द्वारा प्रतिवादी अभिषेक एवं गौरव चौधरी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि वादी द्वारा दिए गए साक्ष्यों से नहीं हो पायी है। वादी के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस, स्वंतंत्र एवं विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।अतः वादी द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संदेहास्पद एवं निराधार प्रतीत होते हैं। महोदय, थाना स्थानीय पर इस प्रकरण से सम्बंधित कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थी को घटना के समस्त तथ्यों की जानकारी है। वह न्यायालय में बेहतर ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है तथा प्रस्तुत मामले में साक्ष्य संकलन हेतु विवेचना कराया जाना आवश्यक नही है। अतः माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2008 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पृष्ठ 472 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)** के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए मामले की जांच किया जाना न्याय संगत होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाए। प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० हेतु दिनांक 30–05–2026 को पेश हो।

दिनांकः–29–04–2026

(नितिशा सिंह),
ए०सी०जे०एम/ए०सी०जे०(प्रवर खण्ड)
कोर्ट संख्या–01, गाजियाबाद।
Jo.Code – UP2319